मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 15/07/2021

क्रमांक एफ 17-17/2017/38-1 - डॉ. एन.पी. निरंजन, प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, नौगांव जिला छतरपुर द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में कूटरचना कर भ्रष्टाचार किए जाने से उनके विरूद्ध पुलिस थाना हरपालपुर, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर द्वारा दर्ज अपराध प्रकरण क्रमांक 174/2008 में दोषी पाये जाने पर माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के सत्र प्रकरण क्रमांक 74/2010 के माध्यम से आदेश दिनांक 05 मार्च, 2020 द्वारा डॉ. निरंजन को भा.दं.सं. धारा 420 के अंतर्गत 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रूपये 1,00,000/- के अर्थदण्ड तथा भा.दं. सं. धारा 468 के अंतर्गत 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रूपये 1,00,000/- के अर्थदण्ड तथा भा.दं.सं. धारा 471 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रूपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

2/ डॉ. निरंजन द्वारा दण्डादेश के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत CRA-2603-2020 में मान.उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2020 द्वारा सजा पर स्थगन दिया गया है। दोषसिद्धि (Conviction) पर कोई स्थगन नहीं दिया गया है।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6-2/98/3/1, दिनांक 08 फरवरी, 1999 में शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर सेवा से पदच्युत करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कंडिका 2(क)2. में यह भी निर्देशित है कि उक्त प्रकार के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 19 सहपठित नियम 14 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(अ) के अंतर्गत अपचारी शासकीय सेवक के विरूद्ध विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं है, साथ ही संबंधित शासकीय सेवक को कार्यवाही के पूर्व कोई सूचना देना भी आवश्यक नहीं है। अर्थात दण्डादेश सीधे पारित एवं जारी किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त निर्देश की कण्डिका 2(क)5. में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित शासकीय सेवक ने अपनी

दोष सिद्धि के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में "अपील" की है और अपीलीय न्यायालय ने दोष सिद्धि को "स्थगन" न देकर मात्र "सजा" से स्थगित किया है तो भी उक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के क्रम में डॉ. निरंजन को "सेवा से पदच्युत" (डिसमिस) किये जाने का अनंतिम प्रशासकीय निर्णय लेकर प्रकरण लोक सेवा आयोग को सहमति हेतु भेजा गया जिस पर लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 14.09.2020 द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

5/ मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम (Business Rules) में किए प्रावधान अंतर्गत प्रकरण का समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर विभाग द्वारा डॉ. निरंजन को सेवा से पदच्युत करने का अंतिम प्रशासकीय निर्णय लिया गया है।

6/ डॉ. एन.पी. निरंजन का कृत्य आचरण नियमों के विपरीत होने से राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. एन.पी. निरंजन, प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, नौगांव, जिला छतरपुर को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6-2/98/3/1, दिनांक 08 फरवरी, 1999 के परिप्रेक्ष्य में सेवा से पदच्युत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

15-1-21

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 17-17/2017/38-1 भोपाल,दिनांक 15/07/2021

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. जिला कोषालय, छतरपुर।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग, सागर ।
8. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, नौगांव जिला छतरपुर।
9. डॉ. एन.पी. निरंजन, प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, नौगांव, जिला छतरपुर।

15-7-21

अवर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग